

न्यायालय सब जज, कहलगाँव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :- अमित कुमार शर्मा

दिवानी वाद संख्या 95 / 2019

10.01.2023

अजय कुमार यादव बनाम अभय कुमार यादव

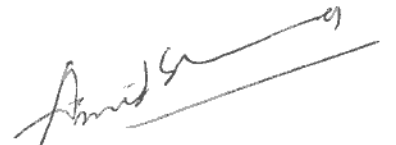
आदेश

उभय पक्ष की हाजरी है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 19.01.2022 पर सुनवाई हेतु नियत है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन करते हैं कि उक्त आवेदन पर न्यायालय का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। हालांकि उक्त आवेदन के आलोक में वादी द्वारा उनको बटवारा विलेख दिनांक 12.5.2009 की प्रति दी जा चुकी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि उक्त आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि वादी द्वारा बटवारा विलेख की प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्राप्त करा दी गई है। जिसको कि उन्होंने दिनांक 7.3.2022 को प्राप्त कर लिया है। अतः न्यायालय के आदेश से पूर्व ही उक्त दस्तावेज की प्रति उनको दे दी गई थी।

उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह न्यायालय यह पाती है कि इस वाद में केवल एक ही प्रतिवादी हैं, जो कि इस वाद में दिनांक 9.4.2021 को उपस्थित हो चुके हैं, परन्तु आज तक प्रतिवादी की ओर से कोई भी लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि आदेश दिनांक 23.9.2022 के माध्यम से प्रतिवादी को लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस एकमात्र प्रतिवादी का आचरण केवल इस वाद में विलम्ब करने का है। चूंकि जिस दस्तावेज की मांग प्रतिवादी के आवेदन के माध्यम से की गई है उक्त दस्तावेज में ये प्रतिवादी भी पक्षकार थे। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 19.1.2022 निस्तारित किया जाता है। चूंकि वे बटवारा विलेख की प्रति प्राप्त कर चुके हैं। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस वाद में साक्षी सूची व वादी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

अभिलेख दिनांक 29.03.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।



अवर न्यायाधीश

कहलगाँव